(48) (47)

निर्णय बइजनास श्री शक्तिसिंह भाटी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमंद

प्र.सं. 36/2020 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 18.08.2020

अनवान

1. श्री राजेन्द्र यादव पुत्र परसराम यादव उम्र बालिग निवासी आदित्य मिल लक्ष्मीनारायण मन्दिर के पास ए–6 मदनगंज, किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.)
2. श्री कैलाशचन्द्र मेहता पुत्र बाबुलाल जैन उम्र बालिग निवासी खादी भण्डार के पास, नवकार भवन, भीलवाडा मार्ग देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद(राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मैसर्स सन माईन्स प्राइवेट लिमिटेड सी–72 शिवालिका मालवीय नगर नई दिल्ली
2. मैसर्स सम्पन्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 बी–170/4 एन एलेक्स लेब सराई नई दिल्ली
3. श्री महेन्द्रनाथ पिता बाली रावल जाति जोगी उम्र बालिग निवासी ग्राम कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद(राज0)
4. राज्य सरकार जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमंद (राज0)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136–131–132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित – श्री राजेश समदानी, प्रार्थीगण अधिवक्ता

श्री गोविन्द कंसारा, अप्रार्थीगण संख्या 3 अधिवक्ता

श्री राजकीय पैरोकर अप्रार्थीगण संख्या 4

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम कणवेरा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज0) में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा सं. 64 रकबा 1.0000 हैक्टेयर, खसरा सं. 65 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नं. 76 रकबा 0.8500 हैक्टेयर, खसरा सं. 85 रकबा 6.3700 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 8.4300 हैक्टेयर भूमि में जो वर्तमान में किस्म खनन क्षेत्र हैं जिसका विक्रय नामान्तकरण 531 दिनांक 07.02.2020 को स्वीकृत किया गया एवं मौके पर काबिज व उपयोग उपभोग करते आ रहे है।पूर्व खसरा नम्बर 6/34, 6/35, 6/36, 6/41, 6/42, 6/43 कुल रकबा 39 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 85, 64, 65,76 कुल रकबा 8.4300 हैक्टेयर उपरोक्त पूर्व खसरा नम्बर का सम्पूर्ण नम्बर 85 कायम किया गया तत्पश्चात् 85 का विभाजन करके खसरा नम्बर 64, 65 एवं 76 कायम किया गया एवं सम्पूर्ण खसरा नम्बर को अलग–अलग विखण्डित करके राजस्व ट्रेस में अलग–अलग त्रुटिपूर्ण कायम कर दिये गये जबकि प्रार्थीगण एक ही जगह पूर्व राजस्व ट्रेस सम्वंत् 2000 के अनुसार मौके पर काबिज है।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

(50) (48)

अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगायत 03 व प्रार्थी संख्या 01 की सह खातेदारी आराजी ग्राम कणवेरा पटवार हल्क कुन्दवा तहसील देवगढ में स्थित है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 53 रकबा 0.3000 खसरा नम्बर 77 रकबा 3.1000 हैक्टेयर कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.4000 हैक्टेयर भूमि है। प्रार्थीगण की आराजी के मूल पूर्व खसरा नम्बर 6/34, 6/35, 6/36, 6/41, 6/43 जिसका कुल रकबा 39 बीघा भूमि है। जिनके वर्तमान में उपरोक्त अंकित खसरा नम्बर 64, 65, 76, 85 कायम किये गये एवं अप्रार्थीगण के मूल खसरा नम्बर 6/17, 6/19, 6/20, 6/40, 6/44, 6/18 कुल किता 6 रकबा 41 बीघा 7 बीस्वा भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 77 व 53 कायम किये गये परन्तु राजस्व ट्रेस में अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 77 के स्थान पर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 85 तरमीम कर दी गई जो त्रुटिपूर्ण राजस्व ट्रेस में किया गया अंकन विशुद्व करने के लिये श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गयें जिनके सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रत्युत्तर में अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री गोविन्द कंसारा अधिवक्ता ने वकालत पत्र पेश किया और अप्रार्थी सं. 4 राज्य सरकार की ओर से श्रीमान तहसीलदार देवगढ द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट व पूर्व वर्तमान राजस्व रिकार्ड पेश कर निवेदन है कि मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के कब्जे एवं पुराने राजस्व रेकार्ड अनुसार रेकार्ड दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे इसलिये उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा की गयी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रारंम्भिक आपत्ति का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब पेश किया गया जिसकी नकल अप्रार्थी सं. 3 के अधिवक्ता को दिलाई गई व अप्राथी सं. 3 की ओर से मूल प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसकी नकल प्रार्थीगण अध्विक्ता को दिलाई गयी। जवाब पत्र में अप्रार्थी सं.03 ने अपने विशेष उत्तर में कथन किया कि मौके की स्थिति में काफी विरोधाभास है। कुलिया साईज व रकबे में काफी अन्तर हैं वास्तविक रूप से मौके पर समस्त खातेदारों की उपस्थिति में तहसीलदार देवगढ़ द्वारा वास्तविक कब्जे की स्थिति मय नक्शे अनुसार रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है।

जिससे स्थिति स्पष्ट हो सकें अप्राथी सं.3 द्वारा किये गये विशेष कथन को प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया और मौके के कब्जे व नक्शे राजस्व रेकार्ड की स्थिति को पत्रावली पर लाने के लिये तहसीलदार देवगढ को कमीश्नर नियुक्त किया गया और कमिश्नर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने हेतु आदेश जारी किया गया। न्यायालय आदेशानुसार तहसीलदार देवगढ़ एवं पटवारी हल्का कुन्दवा ने मौका निरीक्षण किया वक्त मौका निरीक्षण प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता व अप्रार्थी सं.3 के अधिवक्ता उपस्थित रहे कमिश्नर रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड, नक्शा ट्रेस व मौके पर कब्जे संबधित रिपोर्ट एवं सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त करने की रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पेश हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 07.08.2020 जो तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पेश की गई उसी आधार पर भूमि को राजस्व रेकार्ड में शुद्वि किया जाना न्याय हित में आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि का विकास कर सकें एवं प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित रकबा 41 बीघा 7 बिस्वा नही

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

हो कर 39 बीघा ही पढा जावें क्योंकि लिपिकीय त्रुटि से अंकित हो गया है। अप्रार्थी सं.3 की ओर से लिखित व मौखिक बहस पेश की गई जिसका अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण की बहस का मनन किया गया प्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तहसीलदार देवगढ़ के द्वारा पेश जवाब का अवलोकन किया गया कमिश्नर रिपोर्ट के साथ पेश दस्तावेजो, जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा एवं पत्रावली पर प्रार्थीगण और अप्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं.3 के अधिवक्ता की लिखित बहस पर मनन किया गया और उनके द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवगढ़ द्वारा दी गई कमिश्नर रिपोर्ट एवं जवाब पत्र अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्वि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 77, 85, 64, 65, 57, 76 को कमिश्नर रिपोर्ट से प्राप्त राजस्व रेकार्ड, मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्वि करते हुए ग्राम कणवेरा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ के आराजी नम्बर 77 रकबा 8.63 हैक्टेयर में से 8.43 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण श्री राजेन्द्र यादव पुत्र परसराम यादव उम्र बालिग निवासी आदित्य मिल लक्ष्मीनारायण मन्दिर के पास ए–6 मदनगंज, किशनगढ़ जिला अजमेर (राज0) एवं श्री कैलाशचन्द्र मेहता पुत्र बाबुलाल जैन उम्र बालिग निवासी खादी भण्डार के पास, नवकार भवन, भीलवाडा मार्ग देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज0) के नाम दर्ज करने व ग्राम कणवेरा के आराजी नम्बर 85 रकबा 6.37 मे से माफिक मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार मैसर्स सन माईन्स प्राईवेट लिमिटेड सी– 72 शिवालिका मालवीय नगर नई दिल्ली के नाम 2.61 हेक्टर मैसर्स सम्पन्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 बी– 170/4 एन एलेक्स लेब सराई नई दिल्ली के नाम 2.32 हेक्टर भूमि पृथक–पृथक पूर्व आपसी बॅटवारे अनुसार अलग से नक्शे व राजस्व रिकार्ड में तथा शेष खसरा नं0 85 में 0.30 हैक्टेयर भूमि राजेन्द्र यादव के नाम व 1.14 हैक्टेयर महेन्द्र नाथ के नाम संयुक्त रूप से एवं खसरा नं. 76 रकबा 0.85 हैक्टेयर भूमि किस्म गैरमुमकिन सडक मे संयुक्त रूप से मैसर्स सनमाईन्स प्रा0 लि0 के नाम 0.29 हैक्टेयर , मैसर्स सम्पन्या ईन्फ्रास्टेक्चर प्रा0 लि0 के नाम 0.26 हैक्टेयर , श्री राजेन्द्र यादव के नाम 0.25 हैक्टेयर तथा श्री महेन्द्र नाथ के नाम 0.05 हैक्टेयर भूमि संयुक्त रूप से दर्ज किये जाने एवं खसरा नं. 64 रकबा 1.00 हैक्टेयर ,खसरा नं0 53 रकबा 0.300 हैक्टेयर खसरा नं0 65 रकबा 0.210 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा नं0 77/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि संयुक्त रूप से श्री महेन्द्रनाथ पिता बाली रावल जाति जोगी उम्र बालिग निवासी ग्राम कोटडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज0) एवं श्री राजेन्द्र यादव पुत्र परसराम यादव उम्र बालिग निवासी आदित्य मिल लक्ष्मीनारायण मन्दिर के पास ए–6 मदनगंज, किशनगढ़ जिला अजमेर के नाम राजस्व रिकार्ड में माफिक हिस्से व रकबे अनुसार जरिये इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलाशुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमंद